ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सी०आर०आर०ई०एफ० नं०–2/2021

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में, द्वारा पुलिस थाना सोमानी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ .

---- आवेदक

विरुद्ध

दीपक बघेल पुत्र स्वर्गीय श्री इतवारी बघेल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गदामोड़, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

---- अनावेदक

आवेदक/राज्य के लिये श्री शंशाक ठाकुर, उप महाधिवक्ता
अनावेदक के लिये श्री पलाश तिवारी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी०आर०ए० नं०–1365/2021

दीपक बघेल पुत्र स्वर्गीय श्री इतवारी बघेल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गदामोड़, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

---- आवेदक

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना सोमानी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

---- अनावेदक

आवेदक के लिये श्री पलाश तिवारी, अधिवक्ता
अनावेदक/राज्य के लिये श्री शंशाक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड से आदेश
मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के द्वारा

26/11/2024

1. अपीलकर्ता दीपक बघेल को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट – पॉक्सो), राजनांदगांव द्वारा विशेष आपराधिक (पॉक्सो) प्रकरण संख्या 34/2021 में दिनांक 08.10.2021 के निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 302 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 और आईपीसी की धारा 363, 366 और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उसे सीआरपीसी की धारा 354 की उपधारा (5) के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता पर दोषसिद्धि और दी गई सजाएं इस प्रकार हैं:–

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6	मृत्युदंड (फांसी पर लटकाए जाने तक)
भा.दं.सं. की धारा 363 (दो बार)	3–3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5,000/– व ₹5,000/– का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं.सं. की धारा 366	10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5,000/– का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं.सं. की धारा 201	7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5,000/– का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास

2. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 366 के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा पारित करने के बाद इसकी पुष्टि के लिए कार्यवाही इस न्यायालय को प्रस्तुत किया, और इस प्रकार यह मृत्युदंड

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संदर्भ हमारे समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभियुक्त / अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील क्रमांक 1365/2021 के साथ सुना जा रहा है।

3. अभियोजन का मामला और स्वीकृत तथ्य इस प्रकार हैं:

A. दिनांक 28.02.2021 की रात्रि में वर्तमान अपीलकर्ता मृतका को उसके भाई के साथ लगभग 8:30 बजे जसगीत/झांकी समारोह में जाने के लिए बहला-फुसलाकर ले गया था, जहां पर अपीलकर्ता ने मृतका के भाई को समारोह स्थल पर छोड़ दिया और मृतका लडकी को सोमनी में रेलवे ट्रैक के पास ले गया, जहां मृतका के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया और फिर उसके सिर पर भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात, साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसने मृतका के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे उसका शव क्षत-विक्षत हो गया । प्रकरण में स्वीकृत है कि मृतका की आयु 7 वर्ष 4 माह 7 दिन है तथा मृतका के भाई की आयु 5 वर्ष है। अपीलकर्ता मृतका के मामा का घनिष्ठ मित्र होने के कारण मृतका के मायके में रहता था। अपीलकर्ता मृतका के पांव का कंगन भी अपने साथ ले गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

B. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 01.03.2021 की सुबह, जब मृतका के परिवार ने उसे घर पर नहीं पाया, तो उन्होंने उसकी खोज शुरू की। इसी दौरान, सुबह करीब 9 बजे मृतका के मामा दिलीप कुमार मानिकपुरी (पीडब्लू-3) को टोमेश्वर देवांगन का फोन आया कि व्हाट्सएप पर एक लड़की की लाश की तस्वीर प्रसारित हो रही है, उक्त तस्वीर को देखकर दिलीप कुमार मानिकपुरी (पीडब्लू-3) अपने साथी टोमेश्वर के साथ घटनास्थल पर गए तो देखा कि उनकी भांजी का शव क्षत-विक्षत अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई थी। दिलीप कुमार मानिकपुरी (पीडब्लू-3) के कहने पर, जांच अधिकारी शिवेंद्र राजपूत (पीडब्लू-18) द्वारा नवागांव खार अप लाइन 882/2019 के पास 01.03.2021 को सुबह 10:45 बजे मर्ग सूचना प्र.पी/22 दर्ज की गई है और इनक्वेस्ट रिपोर्ट प्र.पी/9 पीडब्लू-12 सेवक राम द्वारा गवाह दिलीप कुमार मानिकपुरी, सुनीता उर्फ त्रिवेणी, सतीश सेन, घुमन साहू एवं नेमदास मानिकपुरी की उपस्थिति में उसी दिन 01.03.2021 तैयार की गई और मृतक के शव की पहचान की गई। इसके बाद 05.03.2021 को शाम 5:15 बजे जांच अधिकारी (पीडब्लू-13) द्वारा शिकायतकर्ता दिलीप कुमार मानिकपुरी (पीडब्लू-3) की ओर से एकमात्र अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 2 एफ, 376 (2)(1), 302 और 201 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉ. नितिन बारामाटे (पीडब्लू–1) ने डॉ. सोहद्रा ठाकुर के साथ मिलकर एक्स.पी–1 के अनुसार मृतक का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर पर गंभीर चोट एवं आंतरिक चोटों के कारण हुई थी । मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी और मृत्यु, पोस्टमार्टम के समय से 12–24 घंटे पहले हुई थी। मृतक के अंगों के नमूने, योनि स्लाइड और स्वाब को गवाह के नागार्जुन और गोवर्धन सिंह कुंवर की मौजूदगी में एक्स.पी–26 के माध्यम से जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान मृतक की जन्म तिथि से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एक्स.पी–20 सी के माध्यम से जप्त की गई।

C. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब शिकायतकर्ता दिलीप कुमार मानिकपुरी (पीडब्लू–3) और मृतक के भाई (पीडब्लू–9) द्वारा उठाए गए संदेह के आधार पर, पुलिस ने आगे की जांच की और अपीलकर्ता अपने घर से फरार पाया तब आखिरकार 08.03.2021 को पुलिस ने गिरफ्तारी ज्ञापन एक्स. पी–42 के जरिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता को हिरासत में लिया गया और उसका मेमोरडंम बयान एक्स पी–15 के जरिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत 08.03.2021 को दोपहर 2:05 बजे जांच अधिकारी शिवेंद्र राजपूत (पीडब्लू–18) द्वारा मेमोरडंम गवाह हरीश देशमुख (पीडब्लू–7) और घुमन साहू (पीडब्लू–8) की मौजूदगी में दर्ज किया गया। आरोपी अपीलकर्ता की निशानदेही पर मृतक का एक चांदी का पायल कंगन जो उसने शव से ली थी और अपने घर में कपड़ों में छिपाकर रखी थी जप्त किया गया और अपराध के दौरान अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई खून से सनी चेक वाली फुल शर्ट भी जब्ती ज्ञापन एक्स. पी–17 के तहत, जप्त की गई । अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए खून से सने पत्थर को भी जब्ती ज्ञापन एक्स. पी–16 के तहत, जप्त किया गया, दोनों जब्ती ज्ञापन जब्ती गवाहों हरीश देशमुख (पीडब्लू–7) और घुमन साहू (पीडब्लू–8) की मौजूदगी में तैयार किए गए। इसके अलावा अपराध के दौरान अपीलकर्ता द्वारा पहने गए अंडरवियर को भी एक्स. पी–34 के तहत जप्त किया गया। अपीलार्थी का डीएनए परीक्षण कराने हेतु अपर सत्र न्यायालय (एफटीएससी), जिला राजनांदगांव से प्रदर्श पी–41 के तहत अनुमति मांगी गई थी तथा प्रदर्श पी–37 के अंतर्गत अपीलार्थी की आवश्यक अनुमति एवं सहमति प्राप्त करने के पश्चात अपीलार्थी से रक्त का नमूना एकत्र कर प्रदर्श पी–33 के तहत जप्त किया गया तथा जप्त रक्त के नमूने के साथ अन्य जप्त सामग्री को भी प्रदर्श पी–38 के तहत डीएनए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परीक्षण हेतु भेजा गया तथा डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–45 के तहत प्राप्त हो गई है। डीएनए रिपोर्ट (पृष्ठ 134) के अनुसार–

I. मृतक के सिर के बालों से लिए गए आर्टिकल डी के नमूने, मृतक के नाखून की कतरन, मृतक के आर्टिकल एफ के योनि स्वैब और योनि स्लाइड तथा मृतक के आर्टिकल जी के ग्रीवा स्लाइड और ग्रीवा स्वैब के डीएनए प्रोफाइल में पाए गए मार्करों के प्रत्येक एलील में अपीलकर्ता के रक्त के नमूने (आर्टिकल एल) के डीएनए प्रोफाइल के एलील पाए गए।

II. मृतक के स्टर्नम की हड्डी से लिए गए आर्टिकल एच के नमूने के डीएनए प्रोफाइल के एलील अपीलकर्ता के आर्टिकल I के अंडरवियर, अपीलकर्ता से जप्त किए गए आर्टिकल जे के रक्त से सने शर्ट, मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए आर्टिकल के रक्त से सने पत्थर के डीएनए प्रोफाइल में पाए गए मार्करों के प्रत्येक एलील में पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. मृतक के आर्टिकल एफ के योनि स्वैब और योनि स्लाइड तथा मृतक के आर्टिकल जी के ग्रीवा स्लाइड और ग्रीवा स्वैब में पाए गए पुरुष डीएनए प्रोफाइल (वाई क्रोमोसोम) अपीलकर्ता के आर्टिकल एल के रक्त के नमूने में पाए गए पुरुष डीएनए प्रोफाइल (वाई क्रोमोसोम) से मेल खाता हैं।

D. जांच के दौरान, गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए और अभियोग पत्र दाखित किया गया और आई०पी०सी०की धारा 363–363, 366, 376 एबी, 302, 201 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए।

4. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों का परीक्षण किया और प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–54 तक कुल 54 दस्तावेज पेश किए हैं।

5. अभियुक्त का बचाव: अभियुक्त/अपीलकर्ता ने बचाव में प्रवेश किया और अपने अपराध से इंकार किया तथा निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई मौखिक या दस्तावेजी प्रमाण पेश किया।

6. विचारण न्यायालय का निर्णय/निष्कर्ष: विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302, 201, 363(दो बार), 366 और पोक्सो की धारा 6 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उसे आईपीसी की धारा 302 और पोक्सो की धारा 6 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई तथा इस निर्णय की पुष्टि हेतु वर्तमान संदर्भ इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को प्रमाणित पाया है: –

1. मृतका की आयु 07 वर्ष 04 माह 07 दिन प्रमाणित हुई है, जो कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बचेड़ा के दाखिल–खारिज रजिस्टर (प्रदर्श दस्तावेज Ex.P–7) में दर्ज जन्म तिथि 21.10.2013 के आधार पर सिद्ध होती है। यह तथ्य संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अलेन कुमार वर्मा (PW–10) द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके अतिरिक्त, मृतक के भाई (PW–9) की आयु 5 वर्ष होना अदालत में दिए गए उसके बयान में उल्लिखित है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा खंडित नहीं किया गया। अतः अन्य पीड़ित (PW–9) की आयु 5 वर्ष मान्य और स्थापित मानी जाती है।
2. अपीलकर्ता मृतका को उसके भाई के साथ रात्रि लगभग 8:30 बजे जसगीत/झांकी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहला–फुसलाकर ले गया था। वहां पहुंचने के बाद, अपीलकर्ता ने मृतका के भाई को कार्यक्रम में छोड़ दिया और मृतका लड़की को सोमनी रेलवे ट्रैक के पास ले गया, वहां उसने मृतका के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और मृतका के सिर पर भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी । इसके बाद अभियुक्त ने साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से मृतका के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे शव क्षत–विक्षत हो गया। इस प्रकार अभियुक्त ने उपरोक्त अपराधों को अंजाम दिया।
3. पीड़िता/मृतका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है, क्योंकि डॉ. नितिन बारामाटे (पीडब्लू–1) के चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर मौत का कारण सिर में गंभीर चोट है, उन्होनें दस्तावेज एक्स.पी–1 यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है।
4. मृतका को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने की बात मृतका की मां (पीडब्लू–5), दीपांशु उर्फ अंशु (पीडब्लू–9), कु. डिम्पल विश्वकर्मा (पीडब्लू–11) एवं घनश्याम साहू (पीडब्लू–12) की गवाही से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपीलकर्ता के मेमोरंडम कथन के अनुसरण में मृतक की हत्या में प्रयुक्त पत्थर, जिसे उसके द्वारा घटना स्थल पर रेलवे ट्रैक के पास छिपा दिया गया था, को एक्स.पी–16 द्वारा बरामद किया गया तथा मृतक का एक चांदी का पायल कंगन, जिसे अपीलकर्ता ने मृतक के शरीर से निकालकर अपने निवास स्थान पर अपने कपड़ों में छिपाकर रखा था, तथा अपराध के समय अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई रक्तरंजित चेकदार फुल शर्ट को भी जब्ती ज्ञापन एक्स.पी–17 के माध्यम से अपीलकर्ता से जप्त किया गया। दोनों जब्ती ज्ञापन जब्ती गवाह हरीश देशमुख (पीडब्लू–7) एवं घुमन साहू (पीडब्लू–8) की उपस्थिति में लिए गए, जिन्होंने जब्ती का समर्थन किया है।
6. डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट (एक्स.पी–45) से यह स्पष्ट है कि मृतका का डीएनए वर्तमान अपीलकर्ता से जप्त की गई वस्तुओं पर पाया गया था और रक्त के नमूनों से प्राप्त अपीलकर्ता के डीएनए का मिलान मृतक से लिए गए अंग के नमूनों, योनि स्वैब और स्लाइड, ग्रीवा स्वैब और स्लाइड तथा मृतक के नाखून की कतरन के डीएनए से किया गया था। इस प्रकार, डीएनए रिपोर्ट न केवल अपराध सिद्ध करती है, बल्कि अभियुक्त की पहचान भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है।
7. प्रस्तुत मामला एक विरलतम श्रेणी (rarest of rare) का मामला है, जिसमें मृत्युदंड की सजा उचित है।
8. अपराध की क्रूरता, पीड़िता की नाबालिग आयु एवं अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मृत्युदंड ही उचित दंड है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियुक्त ने सीआर.ए.सं. 1365/2021 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत इस सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें विशेष रूप से मृत्युदंड को चुनौती दी गई है। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366(1) के तहत मृत्युदंड की पुष्टि हेतु मामला इस माननीय न्यायालय को संदर्भित किया है। अतः दोनों मामलों को एक साथ सुना गया एवं इस सामान्य निर्णय (common judgment) के माध्यम से निराकृत किया जा रहा है।

पक्षों की दलीलें: –

10.श्री पलाश तिवारी, अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया: –

1. अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा तथा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जो उसे दोषी ठहरा सकें।
2. आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत अपराध साबित नहीं होते क्योंकि ऊपर बताए गए अपराधों के आवश्यक तत्व मौजूद नही हैं। एक बार जब विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है जिसमें अपहरण भी शामिल है, तो उसे आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने और सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध किया गया है, तो धारा 363 के तहत दोषसिद्धि को निरस्त किया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में मोहम्मद यूसुफ उर्फ मौला एवं अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य 2020 SCC OnLine SC 1118 के मामले पर भरोसा किया गया है।
3. अपने तर्क को और विस्तार देते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने आगे कहा कि "अंतिम बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत, जिसे निचली अदालत ने मृतका की मां (पीडब्ल्यू-5), दीपांशु @ अंशु (पीडब्ल्यू-9), कु. डिंपल विश्वकर्मा (पीडब्ल्यू-11) और घनश्याम साहू (पीडब्ल्यू-12) की गवाही के आधार पर स्थापित माना है, गलत है। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि आरोपी को अंतिम बार पीड़ित/मृतक के साथ देखा गया था, और इस प्रकार "अंतिम बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत प्रमाणित नहीं होता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. मेमोरडंम कथन और उसके आधार पर की गई बरामदगी विधि अनुसार प्रमाणित नहीं हुई है, इसलिए मेमोरेंडम एवं जब्ती के आधार पर साबित परिस्थितियां निरस्त करने योग्य हैं।

5. वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी यह भी प्रस्तुत किये कि यदि न्यायालय यह पाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध सिद्ध होता है, तो यह अपराध आईपीसी की धारा 300 के चतुर्थ खंड के अंतर्गत आता है और इसके लिये शत्रुघ्न बबन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 1 SCC 596 (पैराग्राफ 29) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने अपने तर्क को सुदृढ़ करने के लिए पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *2022 SCC OnLine SC 176*, भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 SCC OnLine SC 52, मोफिल खान एवं

अन्य बनाम झारखंड राज्य 2021 SCC OnLine SC 1136, लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2021 SCC OnLine SC 1249 और मोहम्मद फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 SCC OnLine SC 480 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। उन्होनें यह प्रस्तुत किया हैं कि इस मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा के प्रश्न पर, विशेष रूप से आरोपी के पुनर्वास और सुधार की संभावना को लेकर, प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया साथ ही, राज्य ने यह भी सिद्ध नहीं किया कि आरोपी को पुनर्वासित और सुधारा नहीं जा सकता तथा बिना किसी जांच के उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 302 के तहत अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया गया है। इस प्रकार, संदर्भ को अस्वीकार किया जाए तथा अपील को अनुमति दी जाए, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तथा उसे ऊपर बताए अनुसार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

7. घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 29 वर्ष थी, उसके सुधार और पुनर्वास की पूरी संभावना है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाए।

8. अपीलार्थी का मामला आईपीसी की धारा 300 के चतुर्थ खंड के अंतर्गत आता है और उसकी मृत्यु कारित करने की कोई स्पष्ट मंशा नहीं थी, अतः मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11.श्री शशांक ठाकुर, विद्वान उप महाधिवक्ता, ने राज्य की ओर से बहस प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व, साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ उन अपराधों को साबित करने के आवश्यक साक्ष्य इस मामले में उपलब्ध थे और मृतक की मां (पीडब्लू –5), दीपांशु उर्फ अंशु (पीडब्लू –9), कु. डिंपल विश्वकर्मा (पीडब्लू –11) और घनश्याम साहू (पीडब्लू –12) की गवाही से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने 07 वर्ष 04 माह 07 दिन की नाबालिग पीड़िता को यौन शोषण की मंशा से अपहरण किया, जो कि धारा 363 और 366 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः, अपीलार्थी को धारा 363 और 366 के तहत दोषसिद्ध करना पूर्णतः उचित है। अपनी दलील को विस्तृत करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 363 में अपराध का निर्धारण नाबालिग की आयु के आधार पर किया जाता है, जबकि धारा 366 आईपीसी में यह उद्देश्य–विशिष्ट और लिंग–विशिष्ट है। आईपीसी की धारा 363 अपहरण का अपराध है

क्योंकि धारा 363 के तहत अपहरण के अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है और जुर्माना भी है, जबकि आईपीसी की धारा 366 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा दस साल है और जुर्माना भी है। वे आगे यह भी तर्क देते हैं कि विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण का अपराध आईपीसी की धारा 361 के तहत दंडनीय है, क्योंकि कोई भी नाबालिग अपने माता–पिता की सुरक्षित देखभाल और संरक्षकता का अधिकार रखता है और माता–पिता भी अपने नाबालिग संतान को सुरक्षा देने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 363 और 366 के बीच अपराध के अंतर पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वह अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए मोहम्मद यूसुफ उर्फ मौला (सुप्रा), कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2018) 6 SCC 664 तथा सन्निया सुब्बा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 17 SCC 225 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हैं। अंततः, वे यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार से यह अपराध किया गया है, उसने न्यायालय और समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में, विचारण न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि यह दुर्लभतम मामला है और अभियुक्त/अपीलकर्ता को उचित रूप से मृत्युदंड की सजा दी है, जिसकी पुष्टि करके इस न्यायालय द्वारा भी जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12.श्री शशांक ठाकुर, विद्वान उपमहाधिवक्ता, आगे यह निवेदन करते हैं कि "अंतिम बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत मृतका की माता (पीडब्लू–5), दीपांशु उर्फ अंशु (पीडब्लू–9), कु. डिंपल विश्वकर्मा (पीडब्लू–11) और घनश्याम साहू (पीडब्लू–12) की गवाही से पूरी तरह स्थापित हो चुका है और इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के मेमोरण्डम (प्रदर्श–पी15) के आधार पर, मृतका की हत्या में प्रयुक्त पत्थर, जिसे उसने घटना के स्थान पर रेलवे ट्रैक के पास छिपा दिया था, एक्स.पी–16 द्वारा बरामद किया गया था और मृतक का एक चांदी का पायल का कंगन, जिसे अपीलकर्ता ने मृतक के शरीर से लिया था और अपने कपड़ों में छुपा कर अपने निवास स्थान पर रखा था और अपराध के दौरान अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई खून से सनी चेक वाली फुल शर्ट को भी जब्ती ज्ञापन एक्स.पी–17 के जरिए अपीलकर्ता से जप्त किया गया था। दोनों जब्ती ज्ञापन जब्ती गवाहों हरीश देशमुख (पीडब्लू–7) और घुमन साहू (पीडब्लू–8) की उपस्थिति में लिया गया था, जिन्होंने जब्ती की पुष्टि की है। अतः, ये सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित करते हैं।

13.इसी प्रकार, डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–45 स्पष्ट रूप से अभियुक्त की दोषसिद्धि को स्थापित करती है और अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, श्री ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे मुक़ेश एवं अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य एवं अन्य AIR 2017 SC 2161 (पैराग्राफ 221) में दिए गए निर्णय पर भरोसा करेंगे। उनका आगे यह भी कहना है कि अपराध के बाद अभियुक्त के आचरण का महत्व हमेशा एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारक होता है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूत करता है। अंततः, उनका तर्क है कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसके बाद, उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला और इसके बाद, उसके शव को रेलवे ट्रैक में फेंक कर छिपा दिया, जिसे बरामदगी पंचनामा प्र.पी–9 के अनुसार बरामद किया गया। इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर अभियुक्त का अपराध पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, और यह एक ऐसा मामला है जो दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980 SC 898 एवं मुक़ेश (उक्त संदर्भ) (पैराग्राफ 351) में प्रतिपादित क्राइम टेस्ट और क्रिमिनल टेस्ट की कसौटी पर खरा उतरता है। यह एक ऐसा अपराध है जिससे समाज की सामूहिक अंतरात्मा झकझोर कर रख दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना, और उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और साथ ही विचारण न्यायालय के अभिलेख को भी गहनता से और व्यापक रूप से देखा है। हमने जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर से प्राप्त आचरण रिपोर्ट, दिनांक 10.07.2022 का भी अवलोकन किया है, जिसे राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलकर्ता का आचरण जेल में वर्तमान कारावास के दौरान सामान्य पाया गया है।

आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को चुनौती

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोर देकर यह तर्क दिया है कि आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत अपराध संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं, अतः इन धाराओं में दी गई दोषसिद्धि को निरस्त किया जाना चाहिए। और वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया गया है कि यदि धारा 366 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, तो धारा 363 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है क्योंकि आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के तत्वों में

अपहरण का अपराध (किडनैपिंग / अबडक्शन) भी अंतर्निहित रूप से शामिल है।

16. आईपीसी की धारा 359 और 361 में निम्नानुसार प्रावधान है:–

> **359– व्यपहरण–** व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।
>
> **361–विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण–**जो कोई किसी अप्राप्तव्यय को, यदि वह नर हो तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्यय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता मे से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त निवेदन पर विचार करने के लिए, यह उचित होगा कि आईपीसी की धारा 359 में परिभाषित अपहरण की परिभाषा, साथ ही आईपीसी की धारा 361 जो वैध संरक्षकता से अपहरण का प्रावधान करती है और आईपीसी की धारा 366 जो अपहरण के लिए दंड निर्धारित करती है, को देखा जाए। अपहरण दो प्रकार का होता है:
इस धारा के अंतर्गत अपराध उस स्थिति में बनता है जब अपहरण किसी 16 वर्ष से कम आयु के लड़के, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के संबंध में किया गया हो। इस धारा का उद्देश्य न केवल छोटे बच्चों को अनुचित उद्देश्यों के लिए बहकाने या अपहरण से बचाना है, बल्कि उन माता–पिता और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है, जिनके पास विधिसंगत रूप से बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की संरक्षकता होती है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 361 में चार आवश्यक तत्व होते हैं:

(1) किसी नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को ले जाना या बहलाना।
(2) यदि लड़का हो तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, और यदि लड़की हो तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
(3) ले जाना या बहलाना ऐसे नाबालिग या विक्षिप्त व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख में नहीं होना चाहिए।

(4) ऐसा ले जाना या बहलाना ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।

18.सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (2004) 1 SCC 339 के मामले में आईपीसी की धारा 361 की व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि जिस नाबालिग को ले जाया गया या बहलाया गया है, उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है; केवल अभिभावक की सहमति ही इस अपराध को इसके दायरे से बाहर कर सकती है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि ले जाना या बहलाना बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किया होना चाहिए। यह भी माना गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा ऐसा अनुनय-विनय करना, जिससे नाबालिग की ओर से विधिक संरक्षक के संरक्षण से बाहर निकलने की इच्छा पैदा हो, आईपीसी की धारा 361 में निहित प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा, जो आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. वर्तमान मामले में, मृतक पीड़िता की आयु अलेन कुमार वर्मा (पीडब्लू-10) द्वारा प्रमाणित की गई है और उन्होंने दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स.पी-7) को साबित किया है, जिसमें मृतक की जन्म तिथि 21.10.2013 और अपराध की तिथि 28.02.2021 दर्ज है। इस प्रकार, मृतक/पीडिता अपराध की तिथि पर केवल 07 वर्ष 04 माह और 07 दिन की आयु की थी और इसलिए आईपीसी की धारा 363 के प्रयोजन के लिए, वह (पीड़िता/लड़की) अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग थी।

20. मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि मृतक की मां (पीडब्लू-5), दीपांशु उर्फ अंशु (पीडब्लू-9), कु. डिम्पल विश्वकर्मा (पीडब्लू-11) और घनश्याम साहू (पीडब्लू-12) की गवाही से अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत विधिवत रूप से प्रमाणित होता है। अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, निचली अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया है। हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

21. अब अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है: -

"366. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना -- जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण

या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमनि से भी दण्डनीय होगा, [और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा]

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता महिला को किसी स्थान से जाने के लिए बहकाया या जबरदस्ती मजबूर किया गया। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि ऐसा प्रलोभन धोखे से दिया गया था, कि ऐसा अपहरण इस इरादे से हुआ था कि शिकायतकर्ता को अवैध संभोग के लिए बहकाया जा सकता है और / या कि अभियुक्त को यह पता था कि शिकायतकर्ता को उसके अपहरण के परिणामस्वरूप अवैध संभोग के लिए बहकाया जा सकता है। केवल अपहरण से अभियुक्त इस दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। जहां तक आईपीसी की धारा 366 के तहत आरोप का सवाल है, केवल यह साबित करना कि महिला का अपहरण किया गया था, पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने महिला का अपहरण इस इरादे से किया कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाए या उसे अवैध संभोग के लिए बाध्य किया जाए या यह जानते हुए कि वह अवैध संभोग के लिए बाध्य हो सकती है।

23. मोहम्मद यूसुफ़ उर्फ़ मौला और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2020 SCC OnLine SC 1118 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य(2018) 6 SCC 664 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्वों की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, अपहरण के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उक्त

अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए था, और निम्नानुसार अवलोकन किया: –

"8. आईपीसी के अध्याय XVI मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। धारा 366, जो कि प्रासंगिक प्रावधान है, इस अध्याय में शामिल है। व्यपहरण/अपहरण को सरल रूप से धारा 359 के तहत परिभाषित किया गया है और इसके लिए अधिकतम सजा सात साल तक और धारा 363 के तहत दिए गए जुर्माने तक है। हालाँकि, यदि अपहरण भीख मांगने, हत्या करने, फिरौती के लिए, महिलाओं को विवाह के लिए प्रेरित करने, अवैध संभोग करने के इरादे से किए गए कामों के लिए धारा 363 ए से धारा 369 तक सख्त सजा का प्रावधान है।

9. धारा 366 में स्पष्ट रूप से **यह निर्धारित करती है कि** जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमनि से भी दंडित किया जाएगा। उक्त धारा के तहत अभियोजन पक्ष को न केवल व्यपहरण को सरलता से साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें अपहरणकर्ता के उपर्युक्त विशिष्ट इरादे को चित्रित करने के लिए सबूत पेश करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए, धारा 366 के तहत अपराध गठित करने के लिए, अपहरण के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उक्त अपहरण धारा में वर्णित उद्देश्यों में से एक के लिए था। इस मामले में अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना आवश्यक था कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से पीड़िता का विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था। [कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 664 देखें]।"

24. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता मृतक पीड़िता को उसके साथ अवैध संभोग करने के इरादे से ले गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न का अपराध साबित किया गया है, जो आईपीसी की धारा 366 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत अपराधों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और यह तर्क

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि एक बार अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि पूरी तरह वैध है । चूकि अपहरण मृतक लड़की को अवैध संभोग करने के उद्देश्य से किया गया था जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित किया है और इसलिए इस संबंध में दिए गए तर्क को खारिज किया जाता है।

25. अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में "प्रवेशन लैंगिक हमला" की परिभाषा दी गई है, और धारा 6 "गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले" के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो निम्नलिखित है: –

> **6. गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड–**(1) जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

26. किसी बच्चे पर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले को पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:–

> "**5. गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला –**
> (एम)जो कोई उसी बाल पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या",

27. अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि अपीलकर्ता ने मृतक पीड़िता पर यौन हमला किया है क्योंकि उसके जननांग क्षेत्र पर 4 चोटें आई हैं और उसके पूरे शरीर पर कुल 16 चोटें पाई गई हैं, जो डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1) के साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है और मृतक के साथ बलात्कार किया गया है, इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–45 से भी होती है, जिसे राज्य एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–20) द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साबित किया गया है और जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी प्रमाणित पाया गया है, जिस पर इस अपील में आपत्ति की गई है।

28. डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1), जिन्होंने नाबालिग पीड़िता की जांच की है, ने मृतक पीड़िता के शरीर पर 12 बाहरी चोटें और उसके निजी अंगों पर 4 चोटें पाई हैं, जो इस प्रकार हैं:–

बाहरी चोटें:

1) बाएँ फ्रोंटो–टेम्पोरल क्षेत्र में, बाएँ भौंह से 7 सेमी ऊपर स्थित, आकार 7.8 सेमी x 5.7 सेमी x गुहा गहरा। किनारों पर रक्त का रिसाव। खोपड़ी की हड्डी के नीचे फ्रैक्चर और मस्तिष्क बाहर निकला हुआ।
2) दाएँ फ्रंटल क्षेत्र में, दाएँ भौंह से 8 सेमी ऊपर, आकार 2 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशी गहराई। किनारों पर रक्त का रिसाव।
3) दाएँ ज़ाइगोमा (गाल की हड्डी) पर, आकार 3.7 सेमी x 2.5 सेमी x मांसपेशी गहराई। किनारों पर रक्त का रिसाव।
4) दाएं कोहनी के जोड़ पर चोट, 3 x2.6 सेमी।
5) पोस्टमॉर्टम क्रश कटा हुआ घाव– छाती पर दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, 24 सेमी x 10 सेमी x गुहा गहरा। रीढ़ की दूसरी वक्षीय कशेरुका पर आघात के कारण दर्दनाक विच्छेदन(अंप्यूटेशन)।
6) पेट और छाती के निचले हिस्से पर पोस्टमॉर्टम क्रश विक्षत घाव आकार 26 सेमी x 12 सेमी x गुहा गहरा मौजूद है। आंतों और आंतरिक अंग बाहर निकले हुए।
7) बायीं जांघ के ऊपरी आधे हिस्से पर पोस्टमॉर्टम क्रश विक्षत घाव आकार 16 सेमी x 9 सेमी x हड्डी गहरा मौजूद है। बायीं फीमर हड्डी (जांघ की हड्डी) के फ्रैक्चर और बायीं फीमर हड्डी के ऊपरी 1/3 भाग पर दर्दनाक विच्छेदन।
8) दाहिने घुटने के जोड़ पर पोस्टमॉर्टम विक्षत घाव आकार 3 मीटर x 2 सेमी x हड्डी तक गहराई का मौजूद है।
9) दाहिने कलाई के जोड़ और हाथ पर पोस्टमॉर्टम क्रश विक्षत घाव आकार 8 सेमी x 6 सेमी x हड्डी गहरा मौजूद है। दाहिनी रेडियस और अल्ना हड्डी (हाथ की हड्डियाँ) में फ्रैक्चर और दाहिनी मेटा कार्पल हड्डी बाहर निकली हुई।
10) सबमैंडिबुलर (ठोड़ी के नीचे) क्षेत्र के केंद्र पर पोस्टमॉर्टम विक्षत घाव आकार 1.5 मीटर x 0.4 सेमी x चमड़े के नीचे के ऊतक गहरा मौजूद है।
11) पोस्टमॉर्टम के दौरान दाहिने पैर के उपरी हिस्से (डॉर्सल साइड) पर आकार 3 सेमी x 1.5 सेमी x मांसपेशी गहराई का विक्षत घाव ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12)पोस्टमॉर्टम के दौरान बाएँ पैर के ऊपरी हिस्से (डॉर्सल साइड) में 2.5 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशी में गहरा के आकार का विक्षत घाव ।

जननांग पर चोटें:

1) बाएँ लेबिया मिनोरा (महिला जननांग का भीतरी भाग) का फटना, आकार 1 सेमी x 0.4 सेमी x ऊतक गहराई, किनारे रक्त से भीगे हुए।
2) बाएँ लेबिया मिनोरा पर नील (कंटूज़न), आकार 0.7 सेमी x 0.6 सेमी, लालिमा युक्त।
3) दाएँ लेबिया मिनोरा पर नील (कंटूज़न), आकार 1.2 सेमी x 0.4 सेमी, लालिमा युक्त।
4) हाइमन (कौमार्य झिल्ली) के 7 बजे की स्थिति पर फटना, आकार 0.6 सेमी x 0.3 सेमी x ऊतक गहराई, किनारे रक्त से भीगे हुए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1) ने अपने बयान के पैराग्राफ 14 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसे चुनौती नही दी गई है। इतना ही नहीं, डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट (एक्स.पी45) से भी यह स्पष्ट है कि मृतक का डीएनए जो वर्तमान अपीलकर्ता से जप्त की गई वस्तुओं पर पाया गया था और अपीलकर्ता के रक्त के नमूनों से प्राप्त का डीएनए भी मृतक से लिए गए अंग के नमूनों, योनि स्वाब और स्लाइड, ग्रीवा स्वाब और स्लाइड और मृतक के नाखून की कतरन के डीएनए से मेल खाता है। अतः डीएनए रिपोर्ट, न केवल मृतक पर अपराध की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि वर्तमान अपीलकर्ता ही इस जघन्य अपराध का दोषी है।

30. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि डीएनए रिपोर्ट को एक प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि बचाव पक्ष द्वारा इसे पूरी तरह से खंडित न दिया हो और इसे अस्वीकार किया जाना हो, तो यह सिद्ध करना आवश्यक है कि डीएनए विश्लेषण के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन नहीं दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मुकेश (सुप्रा) के मामले में इस मुद्दे पर अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 ए में निहित प्रावधानों पर विचार किया, जिसमें बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच करने का प्रावधान है तथा जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण भी शामिल है तथा सीआरपीसी की धारा 164 ए पर भी विचार किया, जिसमें डीएनए

प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण भी शामिल है । सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 228 में निम्नानुसार अवधारित किया: –

> "**228.** उपर्युक्त प्राधिकारियों से यह स्पष्ट है कि डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई त्रुटि न हो तथा इसे अस्वीकार करने के लिये यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन नहीं हुआ था। यदि नमूनाकरण उचित है तथा यदि नमूनों से छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य नहीं हैं, तो डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

31. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकेश (सुप्रा) के मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, राज्य एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–20), ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि डीएनए नमूने के साथ–साथ डीएनए प्रोफाइल की रिपोर्ट, सभी सावधानियों और वैज्ञानिक उपायों और मानकों के साथ तैयार की गई है और उनकी रिपोर्ट एक्स.पी–45 है जिसमें आरोपी के रक्त के नमूनों के माध्यम से विकसित डीएनए नमूने योनि स्वैब और स्लाइड सरवाइकल स्वैब और स्लाइड और मृतक पीड़िता के नाखून क्लिपिंग के माध्यम से विकसित डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते पाए गए हैं । इस प्रकार इस वैज्ञानिक साक्ष्य में कोई विवाद नहीं है और यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता को डॉ रोहित वर्मा (पीडब्लू–4) द्वारा संभोग करने में भी सक्षम पाया गया, जिन्होंने 08.03.2021 को आरोपी की जांच की है। उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता ने मृतक पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे और वह नाबालिग पीड़िता के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करने का दोषी है। पाक्सो अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, अपीलकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई गई है।

अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि:–

32. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत भी अपराध के लिए दोषी ठहराया है, जिसे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गंभीर रूप से चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पूर्व, यह देखना आवश्यक होगा कि क्या मृतक की मृत्यु आपराधिक मानव वध की प्रकृति की थी, क्योंकि विचारण न्यायालय ने मृत्यु को हत्यात्मक प्रकृति का माना है तथा अपीलकर्ता को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था; मृतक के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

शव की बरामदगी अपीलकर्ता के मेमोरडंम कथन के अनुसार की गई है; अभियुक्त के रक्त से प्राप्त डीएनए नमूने का मिलान मृतक पीड़िता के वैजाइनल स्वैब एवं स्लाइड सर्वाइकल स्वैब एवं स्लाइड तथा नाखून क्लिपिंग से हुआ है। इस प्रकार स्थापित तथ्य अभियुक्त की परिकल्पना के अनुरूप ही हैं तथा परिस्थितियों की श्रृंखला अपीलकर्ता के विरुद्ध पूर्ण है, जिसे अपीलकर्ता की ओर से गम्भीरता से चुनौती दी गई है।

33. अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करने से पूर्व, यह देखना आवश्यक होगा कि क्या मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिसे विचारण न्यायालय ने प्रमाणित माना है और जिसे अपीलकर्ता ने चुनौती दी है। मृतक का शव 01.03.2021 को रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी–1 से मृतक की मौत का कारण सिर में चोट लगने का पता चलता है, जिसे मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1) ने साबित किया है। डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1) के बयान के पैराग्राफ 28 में ऊपर दिए गए साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि पीड़ित/मृतक के शरीर पर 12 बाहरी चोटें पाई गई हैं और मृतक के निजी अंग पर 04 चोटें देखी गई हैं। पैराग्राफ 16 में, उन्होंने राय दी है कि मौत का कारण सिर पर खून के धब्बे वाले भारी पत्थर से लगी चोट थी और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रभावी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी पर भरोसा करते हुए सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2009) 14 SCC 415 के मामले में दम घुटने / दम घुटने के लक्षणों / संकेतों को विस्तार से समझाया और निम्न निष्कर्ष दिए: –

14. पोस्टमार्टम के लक्षणों के संबंध में, मोदी के अनुसार:
"पोस्टमार्टम के लक्षण बाहरी और आंतरिक होते हैं।"

(i) **बाहरी लक्षण**
बाहरी लक्षण दम घुटने (suffocation) या श्वासावरोध (asphyxia) उत्पन्न करने वाले कारणों के कारण हो सकते हैं।

(a) **दम घुटने के कारण उत्पन्न लक्षण** – हत्या के उद्देश्य से दम घोंटने (homicidal smothering) के मामलों में, यदि जबरदस्ती हाथ से मुंह और नाक को दबाया गया हो, तो होठों, मुंह के किनारों और नथुनों के पास अक्सर खरोंच और चोट के निशान पाए जाते हैं। दांतों के दबाव के कारण होंठों की अंदरूनी सतह फटी हुई हो सकती है। नाक चपटी हो

सकती है, और अत्यधिक दबाव के कारण उसकी मध्य पट्टी (सेप्टम) टूट भी सकती है, हालांकि मोदी के अनुभव के अनुसार, ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। यदि संघर्ष हुआ हो, तो गाल, जबड़े और दाढ़ के हिस्सों पर भी खरोंच और चोट के निशान मिल सकते हैं। कभी–कभी, यदि गर्दन को जबरदस्ती मरोड़ा गया हो, तो गर्दन की हड्डियों (cervical vertebrae) में फ्रैक्चर या अव्यवस्था (dislocation) हो सकती है। लेकिन, यदि मुंह और नाक को दबाने के लिए कोई मुलायम कपड़ा या तकिया उपयोग किया गया हो, तो बाहरी हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिलते।

छाती पर दबाव पड़ने की स्थिति में बाहरी चोटों के स्पष्ट निशान नहीं हो सकते, लेकिन आमतौर पर पसलियां (ribs) दोनों ओर से टूट जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की छाती पर हत्या के इरादे से हाथ, घुटनों या किसी कठोर वस्तु से दबाव डाला गया हो, तो त्वचा पर दोनों ओर समान रूप से चोट (bruises) और खरोंच (abrasions) के निशान मिलते हैं, साथ ही त्वचा के नीचे रक्तस्राव (extravasation of blood) पाया जाता है। कभी–कभी पसलियों के साथ–साथ ऊपरी हड्डी (sternum) भी टूट सकती है, हालांकि यह दुर्लभ होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आघातजन्य श्वासावरोध (traumatic asphyxia) के लक्षण व्यक्ति पर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। यदि पीड़ित का रंग गोरा हो, तो जहां दबाव डाला गया है, उसके ऊपर की त्वचा पर बैंगनी रंग का फैलाव (purple suffusion) देखा जा सकता है, खासकर जब छाती को अत्यधिक बल से दबाया गया हो। हालांकि, यदि दबाव हल्का हो या पूरे छाती क्षेत्र में समान रूप से वितरित हो, तो बाहरी या आंतरिक चोटों के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल सकते।

(b) **श्वासावरोध (Asphyxia) के कारण उत्पन्न लक्षण: –** चेहरा पीला या सूजा हुआ हो सकता है। आँखें खुली हुई होती हैं और नेत्रगोलक उभरे हुए दिखाई देते हैं। आँखों की झिल्ली लाल हो सकती है और कभी–कभी छोटे–छोटे खून के धब्बे दिख सकते हैं। होंठ नीले हो सकते हैं और जीभ कभी–कभी बाहर निकली हुई पाई जाती है। मुंह और नाक से खून मिला झाग निकल सकता है। त्वचा पर छोटे–छोटे खून के धब्बे और अंगों में नीलापन दिख सकता है। सांस लेने के अधिक प्रयास के कारण कान के पर्दे फट सकते हैं।

(ii) आंतरिक स्वरूप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यदि दम घुटने (सफ़ोकेशन) की वजह से मृत्यु हुई हो, तो मुंह, गले, स्वर यंत्र (लैरिंक्स) या श्वासनली (ट्रेकिया) में कपड़ा, मिट्टी या कोई अन्य बाहरी पदार्थ पाया जा सकता है। यह पदार्थ ग्रसनी (फैरिंक्स) या भोजन नली (ईसोफेगस) में भी हो सकता है। श्वासनली की अंदरूनी झिल्ली आमतौर पर चमकदार लाल होती है, जिस पर खूनी झाग जमा हो सकता है और वह सूजी हुई होती है। फेफड़े सूजे हुए और रक्त से भरे हो सकते हैं। यदि छाती पर दबाव डालने से मृत्यु हुई हो, तो बिना पसलियों के टूटे भी फेफड़ों में अंदरूनी चोट या फटने की संभावना होती है। फेफड़ों की जड़ों, आधार और निचले हिस्सों में छोटे–छोटे रक्तस्राव (टार्डियू स्पॉट्स) पाए जा सकते हैं, लेकिन ये केवल दम घुटने से हुई मृत्यु के विशेष संकेत नहीं होते, क्योंकि ये अन्य प्रकार की दम घुटने से हुई मौतों में भी देखे जा सकते हैं। ये स्पॉट थाइमस ग्रंथि, हृदयावरण (पेरिकार्डियम) और हृदय की प्रमुख धमनियों की जड़ों पर भी पाए जा सकते हैं। अगर मौत बहुत तेजी से हुई हो, तो फेफड़े सामान्य भी दिख सकते हैं। आमतौर पर, हृदय के दाहिने हिस्से में गाढ़ा काला तरल रक्त भरा होता है, जबकि बायां हिस्सा खाली होता है। रक्त जल्दी जमता नहीं है, जिससे मृत्यु के बाद भी घावों से खून निकल सकता है। मस्तिष्क और पेट के अन्य अंग, जैसे कि जिगर (लिवर), प्लीहा (स्प्लीन) और गुर्दे (किडनी), अक्सर सूजे हुए और रक्त से भरे होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. लेखक के मतानुसार, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुंह और नाक के आसपास या श्लेष्मा सतह के अंदर या छाती पर बाहरी निशानों के रूप में हिंसा के सबूतों की तलाश करना बहुत जरूरी है। विद्वान लेखक के अनुसार, दम घुटने से मौत के सबूत को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

35.सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए गला घोंटने के मामले में पोस्टमार्टम की स्थिति को लेकर सुब्रमण्यम (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 14 और 15 के अनुसार, वर्तमान मामले में मृतक के शरीर पर सिर की चोट के निशान/लक्षण थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। इस प्रकार, यह विधिवत प्रमाणित हो गया है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी, जैसा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नितिन बारमाटे (पीडब्लू–1) ने भी कहा है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

36. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यह अपराध अपीलकर्ता द्वारा ही किया गया है?

अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत

37. विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को प्रमाणित माना गया है, जिसका अपीलकर्ता की ओर से जोरदार विरोध किया गया है। हाल ही में 13 मई 2022 को पारित निर्णय वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य Criminal Appeal Nos.5 & 6 of 2018 के मामले में, निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2016) 1 SCC 550 के निर्णय पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि केवल "अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत" के आधार पर दोषसिद्धि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। यह भी माना गया कि जहां 'अंतिम बार देखे जाने' और 'घटना के समय' के बीच का समय अंतराल लंबा है, वहां केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा और माना कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक होता है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 32.1 से 32.4 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"32.1 निजाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य [(2016) 1 एससीसी 550] में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने माना कि केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। इस न्यायालय ने, स्पष्ट रूप से, चेतावनी दी कि जहां 'अंतिम बार देखे जाने' और 'घटना के समय' के बीच का समय अंतराल लंबा है, वहां केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि करना असुरक्षित होगा और माना कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि की अपेक्षा करना अधिक सुरक्षित है।

32.2 राजस्थान राज्य बनाम काशी राम में (2006) 12 एससीसी 254 के पैराग्राफ 23 में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि :–

23. यह आवश्यक नहीं है कि इस सिद्धांत को साबित करने के लिए कई मामलों का हवाला दिया जाए। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि कोई विशेष तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है, तो उस तथ्य को साबित करने का उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति पर होगा। इस प्रकार , यदि कोई व्यक्ति मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि वह मृतक से कब और कैसे अलग हुआ। यह स्पष्टीकरण ऐसा होना चाहिए, जो न्यायालय को

संभावित और संतोषजनक लगे। यदि वह उचित स्पष्टीकरण दे देता है, तो उसे यह उत्तरदायित्व पूरा करने वाला माना जाएगा। किन्तु, यदि वह अपने विशेष ज्ञान में आने वाले तथ्यों के आधार पर कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर डाले गए उत्तरदायित्व को वह पूरा नहीं कर पाता। यदि कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अभियुक्त अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो यह स्वयं ही उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जोड़ देता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत का भार नहीं बदलती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। इसमें यह नियम बनाया गया है कि जब अभियुक्त ऐसे तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, तो न्यायालय किसी भी स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में उसकी विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है जो श्रृंखला को पूरा करती है। यह सिद्धांत नैना मोहम्मद, एआईआर 1960 मद्रास 218: 1960 सीआरएल एलजे 620 के मामले में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32.3 अरबिंद्र मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2011) 14 एससीसी 352] के मामलें में, जहाँ अभियुक्त को **धारा 302, 364, 120B और 201 आईपीसी** के तहत दोषी ठहराते हुए उसकी अपील खारिज करते हुए इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया: "एक बार जब यह प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त (अपीलकर्ता) मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, तो यह उसका उत्तरदायित्व (Onus) बनता है कि वह यह साबित करे कि या तो वह इस घटना में शामिल नहीं था, या उसने मृतक को उसके घर अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर छोड़ दिया था।अतः, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य को खंडित करने एवं उसके कानूनी प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए अभियुक्त पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी निर्दोषता सिद्ध करे।"

32.4 पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2019) 4 एससीसी 771] में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 63 में इस न्यायालय ने अवधारित किया:–

38. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि अंतिम बार देखे

जाने का सिद्धांत, यदि सिद्ध हो जाता है, तो सबूत का भार अभियुक्त पर आ जाता है, उस पर यह स्पष्ट करने का दायित्व आ जाता है कि वह यह स्पष्ट करे कि घटना कैसे हुई और अंतिम बार उसके साथ देखे गए पीड़ित के साथ क्या हुआ। यदि अभियुक्त इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, या गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तो इसे उसके विरुद्ध एक मजबूत अनुमान उत्पन्न होता है, जो उसकी दोषसिद्धि के पक्ष में जाता है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जोड़ता है।

(जोर दिया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

39. इसी प्रकार, सतपाल बनाम हरियाणा राज्य 18 के मामले में, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को अपने आप में ही दोषसिद्धि के लिए एक कमजोर साक्ष्य माना गया है, जब तक कि इसे अन्य परिस्थितियों के साथ न जोड़ा जाए, और निम्नानुसार अवधारित किया गया: –

"6. हमने दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ देखे जाने के तथ्य से जुड़े हुए हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक मिसालों की भरमार इस सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांतों पर पुनर्विचार की बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है। संक्षेप में, इसे अपने आप में दोषसिद्धि के लिए एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जा सकता है। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि मृतक को आरोपी के साथ अंतिम बार देखे जाने का समय और उसके शव की बरामदगी बहुत कम समय के अंतराल में हो, तो आरोपी पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत यह स्पष्टीकरण देने का दायित्व होता है कि किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई। यदि आरोपी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, अपराध का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, और बरामदगी या अन्य प्रमाणों के रूप में सहायक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिससे परिस्थितियों की एक ऐसी कड़ी बनती है जो केवल आरोपी के अपराध की ओर संकेत करती है और किसी भी निर्दोषता की संभावना के साथ असंगत होती है, तो दोषसिद्धि दी जा सकती

है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संदेह या विघटन हो, तो संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के आधार पर इस सिद्धांत के प्रयोग की जांच की जाएगी। "

40.वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, मृतक पीड़िता को उसके नाबालिग भाई (पीडब्लू–9) के साथ अपीलकर्ता द्वारा रात लगभग 8:30 बजे उसकी मां (पीडब्लू–5) की वैध संरक्षकता से जसगीत/झांकी समारोह में भाग लेने के लिए ले जाया गया था, जिसमें अपीलकर्ता ने मृतक के भाई को समारोह में छोड़ दिया और मृतक लड़की को सोमनी में रेलवे पटरियों के पास ले गया, जहां उसने मृतका के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और मृतका के सिर पर भारी पत्थर से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से, उसने मृतका के शव को पास के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जिससे शरीर क्षत–विक्षत हो गया । इस प्रकार उसने उपरोक्त अपराध कारित किए, जिसकी पुष्टि दीपांशु उर्फ अंशु (पीडब्लू–9), कु. डिम्पल विश्वकर्मा (पीडब्लू–11) और घनश्याम साहू (पीडब्लू–12) की गवाही से होती है। इस प्रकार, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रमाणित है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41.परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में विधि पूर्णतः स्थापित है। ऐसे मामले में, जहां अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर करता है, उसे न केवल परिस्थितियों को साबित करना चाहिए बल्कि उन्हें इस तरह से जोड़ना चाहिए कि एक अंतहीन श्रृंखला का निर्माण करें, जो केवल आरोपी के अपराध की पुष्टि करे। लेकिन अगर आरोपी के निर्दोष होने की कोई संभावना है या अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

42. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य(1984) 4 SCC 116 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित कानून यह है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः स्थापित कहे जाने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक है–

(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोषसिद्ध होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए, न कि मात्र 'संभावित' रूप से।

(2) स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता ।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4)वे हर उस संभावित परिकल्पना को निष्कासित करें, जो स्थापित किए जाने वाले निष्कर्ष के विपरीत हो। और

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त की निर्दोषता से मेल खाने का कोई भी तर्कसंगत आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि मानवीय संभाव्यता के अनुसार यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43.शरद बिर्धिचंद सरदा (उक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल हो, विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। यह भी प्रतिपादित किया गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि "अपराध जितना जघन्य होगा, प्रमाण का स्तर उतना ही उच्च होगा" और विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में, अत्यंत सावधानी, सतर्कता और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस संबंध में, निर्णय के कंडिका 180 में निम्नलिखित अवधारित किया गया:-

"180. यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक न्याय का सुस्थापित नियम यह है कि 'अपराध जितना जघन्य होगा, प्रमाण का स्तर उतना ही उच्च होगा।' इस मामले में, एक व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता दांव पर थी। चूंकि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए अत्यंत सावधानी, सतर्कता और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ।"

44. अब मामले के तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त और मृतका को अंतिम बार साथ देखे जाने का प्रमाण ही एकमात्र साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, मृतका की एक चांदी की पायल, जिसे अभियुक्त ने मृतका के शरीर से निकालकर अपने घर में अपने कपड़ों के बीच छिपा कर रखा था, उसे जप्त किया गया। इसके अलावा, अपराध के समय अभियुक्त द्वारा पहनी गई रक्तरंजित चेकदार फुल शर्ट को जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी-17 के अनुसार जप्त किया गया, तथा अपराध में प्रयुक्त रक्तरंजित भारी पत्थर,

जिसे अभियुक्त ने घटना स्थल पर छिपा दिया था, को भी जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी–16 के अनुसार जप्त किया गया। इन सभी तथ्यों को न केवल न्यायालय द्वारा सिद्ध माना गया, बल्कि हम भी पूर्व के पैराग्राफ में इन तथ्यों को प्रमाणित मान चुके हैं। इसके अलावा, डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट (एक्स.पी45) से यह भी पता चलता है कि अभियुक्त से जप्त वस्तुओं पर मृतका का डीएनए पाया गया और अभियुक्त के रक्त के नमूनों से प्राप्त डीएनए का मिलान मृतका के अंगों के नमूनों, योनि स्वैब एवं स्लाइड, ग्रीवा स्वैब एवं स्लाइड, तथा मृतका के नाखूनों के कटिंग से हुआ। यह डीएनए रिपोर्ट न केवल मृतका पर किए गए अपराध की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि अभियुक्त ही इस अपराध का वास्तविक कर्ता है। डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–45 को श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–20) द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त और मृतका को अंतिम बार साथ देखे जाने की पुष्टि मृतका की माता (PW–5), दीपांशु @ अंशु (PW–9), कु. डिंपल विश्वकर्मा (PW–11) और घनश्याम साहू (PW–12) की गवाही के आधार पर की, तथा डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट (Ex. P–45) के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का उचित निर्णय दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. इस प्रकार, संपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात, हमें मौखिक, चिकित्सीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं प्रतीत होती, न ही हमें यह लगता है कि विचारण अदालत द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि हुई है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और तदनुसार हम अपीलकर्ता की आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।

46. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, हमें आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले निचली अदालत द्वारा दर्ज निष्कर्ष में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं दिखती है।चूंकि अभिलेख में इस अपराध को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

47. अब अगला प्रश्न अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा से संबंधित है, जिसमें उसे फांसी देकर मृत्यु तक लटकाने

का आदेश दिया गया है और इसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 366 के अनुसार पुष्टि हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

<u>मृत्यु दंड</u>

48. अब, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यह मामला मृत्यु दंड को उचित ठहराने वाले विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अनेक निर्णयों में मृत्यु दंड देने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, कि मृत्यु दंड देने के लिए उत्तेजक परिस्थितियों और उपशामक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। सात अन्य कारक जैसे, अभियुक्त की आयु, सुधार की संभावना और हत्या के इरादे की कमी को भी न्यायिक मस्तिष्क में रखना होगा।

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या करने के अपराध के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। यदि धारा 302 IPC के अंतर्गत दोषसिद्धि होती है, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि होती है जो मृत्यु दंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे दंड को प्रदान करने के लिए न्यायालय को विशेष कारण बताने की आवश्यकता होती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 354(3) के अनुसार मृत्यु दंड देने के लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए। धारा 354(3) CrPC इस प्रकार है—

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

49. आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या करने के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि होती है, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि होती है जो मृत्यु दंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे दंड को प्रदान करने के लिए न्यायालय को विशेष कारण बताने की आवश्यकता होती है। सीआरपीसी की धारा 354(3) के अनुसार मृत्यु दंड देने के लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए। धारा 354(3) CrPC इस प्रकार है:–

> **"धारा 354 (3):** जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश के

कारणों का और मृत्यु के दण्डादेश की दशा में ऐसे दण्डादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा।"

50. सीआरपीसी की धारा 354(3) की भाषा विधायिका की चिंता और उन शर्तों को, जिन्हें मृत्यु दंड देने से पूर्व संतुष्ट की जाने वाली शर्तों को प्रदर्शित करती है। "मृत्यु दंड के मामले में, ऐसे दंड के विशेष कारण" शब्द विधायिका के स्पष्ट निर्देश को दर्शाते हैं कि मृत्यु दंड प्रदान करने के लिए विशेष कारणों को दर्ज किया जाना आवश्यक है। अर्थात्, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह एक दुर्लभतम मामला है, जिसमें केवल मृत्यु दंड ही उचित दंड है।

51. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने *मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य* Criminal Appeal Nos.248–250 of 2015, decided on 20–5–2022 के मामले में, *बचन सिंह* (सुप्रा) मामले से प्रारंभ करते हुए इस विषय पर संपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण की समीक्षा की और पैराग्राफ 204 में निम्नलिखित निर्णय दिया : –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"204. सामान्य रूप से **उपशामक कारक**, अपराध को उचित ठहराने या वैध ठहराने के बजाय, अपराधी के आस–पास की परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास के बीच निर्णय ले सके। संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची जिसे सबसे पहले बचन सिंह **के निर्णय में स्वीकार की गई थी**:

"अपराध को कम करने वाले कारक.– उपरोक्त मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा:

(1) यह कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

(2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त युवा या वृद्ध है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) अभियुक्त के द्वारा भविष्य में समाज के लिए निरंतर खतरा उत्पन्न करने वाले हिंसक अपराध करने की संभावना कितनी है।

(4) यह संभावना कि अभियुक्त को सुधारा जा सकता है और उसका पुनर्वास किया जा सकता है। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

(5) यह कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

(6) यह कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभाव में आकर अपराध किया।

(7) अभियुक्त की मानसिक स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वह मानसिक रूप से अक्षम था और यह मानसिक दोष उसकी इस अपराध की गंभीरता को समझने की क्षमता को क्षीण कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ये परिस्थितियाँ संपूर्ण नहीं हैं; इसके बाद, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अन्य पहलुओं अभियुक्त की कम उम्र *Mahesh Dhanaji Shinde v. State Of Maharashtra . (2014) 4 SCC 292, Gurvail Singh v. State of Punjab (2013) 2 SCC 713, etc*, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ Mulla and another v. State of U.P. (2010) 3 SCC 508; Kamleshwar Paswan v. U.T. Chandigarh (2011) 11 SCC 564; Sunil Damodar Gaikwad v. State Of Maharashtra . (2014) 1 SCC 129, मानसिक रोग Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) 3 SCC 1, आपराधिक पृष्ठभूमि Dilip Premnarayan Tiwari v. State of Maharashtra, (2010) 1 SCC 775 इत्यादि को भी *आजीवन कारावास में परिवर्तन* के आधार के रूप में मान्यता दी है और उन पर विचार किया है। इनमें से कई कारक अभियुक्त के सुधार की संभावना (यानी *बचन सिंह सूची* के बिंदु 3 और 4) जो उन्हें सजा सुनाए जाने के समय महत्वपूर्ण संकेतक बनाते हैं।

इसके अलावा, माननीय न्यायाधीशों ने सजा से पहले सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और अभियुक्त से संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने

के अवसर और दायित्व पर पैराग्राफ 211 और 212 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया——

"211. हालांकि, यह भी बहुत कम और बहुत देर से किया गया प्रयास है, और केवल दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त की परिस्थितियों में एक झलक प्रदान करती है। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि परीक्षण स्तर पर उपशामक परिस्थितियों का समुचित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है, तो उत्तेजक परिस्थितियाँ अधिक प्रभावी और प्रबल प्रतीत होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दंड निर्धारण करने वाला न्यायालय *बचन सिंह परीक्षण* के अपूर्ण और इस प्रकार गलत अनुप्रयोग के आधार पर मृत्यु दंड देने की प्रवृत्ति रखता है।

212. सुधार का लक्ष्य एक आदर्श है, और समाज को इसकी दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। दशकों से इस अदालत के न्यायशास्त्र में इसके कई संदर्भ हैं – लेकिन समस्या यह है कि इसे मापने और मूल्यांकन करने के लिए कोई ठोस ढांचा नहीं है। दुर्भाग्यवश, यह कमी कारागार सुधारों की विफलता में भी दिखाई देती है, जिसके कारण कैद की प्रक्रिया और जेलों को एक प्रभावी सुधार प्रणाली के रूप में विकसित करने की संभावना सीमित रह गई है। सुधारात्मक दंड के लक्ष्य के लिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म नीति निर्माण के परिणामस्वरूप सक्रिय रूप से सुधार और पुनर्वास को सक्षम बनाती हैं। इन विषम परिणामों को सही करने और अभियुक्तों के सुधार की संभावना (आचरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के अस्पष्ट संदर्भों से परे) के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा के लिए एक छोटे कदम के रूप में, यह न्यायालय न्यायालयों के लिए व्यावहारिक दिशा–निर्देश तैयार करना आवश्यक समझता है, जिन्हें तब तक अपनाया और लागू किया जाना चाहिए, जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका कानून के माध्यम से एक सुसंगत रूपरेखा तैयार नहीं कर लेती। ये दिशानिर्देश न्यायिक प्रणाली को उपशामक परिस्थितियों के व्यवस्थित संकलन और मूल्यांकन में सहायता कर सकते हैं और संभावित रूप से विधायी सुधार की नींव रख सकते हैं।

इसके बाद, उनके माननीय न्यायाधीशों ने उपशामक परिस्थितियों को एकत्र करने के लिए व्यावहारिक दिशा–निर्देश जारी किए और पैराग्राफ 213 से 217 में निम्नानुसार अवलोकन किए: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"213. यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि उपशामक परिस्थितियों पर परीक्षण स्तर पर विचार किया जाए, ताकि अपराध की क्रूरता के प्रति केवल प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया तक सीमित रहने की प्रवृत्ति से बचा जा सके। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन मामलों में देखी जाती है, जो अपील स्तर तक पहुँचते हैं।

214. ऐसा करने के लिए, विचारण न्यायालय को अभियुक्त और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। राज्य को – मृत्युदंड वाले अपराध के लिए – उचित समय पर, अभियुक्त के मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का खुलासा करते हुए, अधिमानतः पहले से एकत्रित सामग्री सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। यह मूल्यांकन अपराध के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति (या यदि कोई मानसिक रोग था तो उसकी जानकारी) को स्पष्ट करने में सहायक होगा और बचन सिंह मामले में उल्लिखित उपशामक कारकों (1), (5), (6) और (7) को समझने के लिए एक दिशा प्रदान करेगा। अन्य उपशामक कारकों (3) और (4) की जिम्मेदारी सीधे राज्य पर है। इसलिए, अपराध घटित होने के तुरंत बाद मनोचिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि यह अपीलीय न्यायालयों के लिए एक आधार रेखा प्रदान कर सके। इससे यह आकलन किया जा सकता है कि कारावास के दौरान अभियुक्त के सुधार की कितनी प्रगति हुई है।

215. इसके बाद, राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए। एक उदाहरणात्मक, लेकिन संपूर्ण सूची नहीं इस प्रकार है:

a) आयु

b) प्रारंभिक पारिवारिक पृष्ठभूमि (भाई–बहन, माता–पिता की सुरक्षा, हिंसा या उपेक्षा का कोई इतिहास)

c) वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि (जीवित परिवार के सदस्य, चाहे विवाहित हों, बच्चे हों, आदि)

d) शिक्षा का प्रकार और स्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

e) सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि (गरीबी या अभाव की स्थिति सहित, यदि कोई हो)

f) आपराधिक पृष्ठभूमि (अपराध का विवरण और क्या दोषी ठहराया गया है, सजा काटी गई है, यदि कोई हो)

g) आय और रोजगार का प्रकार (क्या कोई नहीं है, या अस्थायी या स्थायी आदि);

h) अन्य कारक जैसे अस्थिर सामाजिक व्यवहार का इतिहास, या मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी, सामाजिक अलगाव (कारण, यदि कोई हो) आदि। यह जानकारी अनिवार्य रूप से सजा सुनाने के चरण में विचारण न्यायालय को उपलब्ध होनी चाहिए साथ ही, अभियुक्त को भी अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह सभी उपशामक परिस्थितियों को साबित कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

216. अंत में, अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, उसके द्वारा किए गए कार्य (यदि कोई हो), और अन्य संबंधित गतिविधियों की जानकारी संबंधित जेल अधिकारियों (यानी, परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से रिपोर्ट के रूप में मंगाई जानी चाहिए। यदि अपील की सुनवाई विचारण न्यायालय की सजा या उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद लंबे अंतराल के बाद होती है, जैसा भी मामला हो – तो जेल अधिकारियों से एक नई रिपोर्ट (पिछली अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई रिपोर्ट के बजाय) की सिफारिश की जाती है, अभियुक्त द्वारा अब तक किए गए सुधारात्मक प्रयासों का समकालीन और सटीक मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जेल प्रशासन को नवीनतम मनोचिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी, जो अभियुक्त के सुधारात्मक प्रगति को दर्शाएगी और यदि कोई दोषसिद्धि के बाद मानसिक बीमारी उत्पन्न हुई हो, तो उसे भी उजागर करेगी।

217. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 SCC 69 के मामले में आपराधिक न्यायालयों को अतिरिक्त सामग्री एकत्र करने के निर्देश दिए थे:

"कई बार, सजा निर्धारित करते समय, न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेते हैं कि अभियुक्त समाज के लिए खतरा होगा और उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जबकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उन कारकों का पता लगाए और राज्य अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी मामले में न्यायालय जिन तथ्यों पर विचार करता है, वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकते, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जिसके लिए, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक न्यायालय, धारा 302 आईपीसी जैसे अपराधों पर विचार करते समय, दोषसिद्धि के बाद, उचित मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट मांग सकते हैं कि अभियुक्त का सुधार किया जा सकता है या उसका पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(जोर दिया गया)

"हम इस निर्देश को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि *मृत्यु दंड की संभावना वाले अपराधों में दोषसिद्धि के मामलों में*, उपरोक्त विस्तृत व्याख्या के अनुसार, इसे *समान रूप से और व्यवस्थित रूप से लागू किया जाना चाहिए।*"

52. मनोज (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए उपरोक्त व्यावहारिक दिशा–निर्देशों के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसी तारीख को उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार नहीं किया है और केवल अपराध की प्रकृति और उसके किए जाने के तरीके को ध्यान में रखा और दंड निर्धारण के संबंध में प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया गया कि अपीलकर्ता को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है । अभियुक्त के जेल में आचरण के संबंध में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, और उसे इस विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस अदालत के समक्ष जेल से एक रिपोर्ट पेश की गई है

जिसमें अपीलकर्ता का व्यवहार सामान्य पाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा जेल में कोई अपराध नहीं किया गया है, हालांकि अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़ित लड़की को उसकी मां की संरक्षकता से अपहरण करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने का अपराध किया है, जिसके कारण उसे 12 शारीरिक चोटें और उसके निजी अंगों पर 4 अतिरिक्त चोटें आईं, जो कि बर्बर, अमानवीय, घृणित और अत्यंत क्रूर कृत्य था। ये अपराध करने वाली परिस्थितियाँ हैं, लेकिन अभिलेख पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध के समय उसकी आयु लगभग 29 वर्ष थी और वह अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, इस प्रकार वह पिछड़े समुदाय से संबंधित है और उसके सुधारे जाने या पुनर्वासित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, उसकी जेल रिपोर्ट जिसमें 08.03.2021 से उसके कारावास के दौरान जेल में बिल्कुल सामान्य बताया गया है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं दिखाई गई है। हालांकि यह पूरे समाज को झकझोरने वाला है, लेकिन फिर भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की कम उम्र को देखते हुए, विचारपूर्वक विचार करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युदंड की कठोर सजा उचित नहीं है। हमारा मानना है कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की बड़ी सजा की पुष्टि की जानी है। हमारे विचार में, आजीवन कारावास पूरी तरह से पर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तदनुसार, हम मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास की सजा अपीलकर्ता दीपक बघेल के प्राकृतिक जीवनकाल की शेष अवधि तक जारी रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निष्कर्ष</u>

53. परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट – पोक्सो), राजनांदगांव द्वारा अपीलकर्ता दीपक बघेल को दी गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि हेतु प्रस्तुत क्रिमिनल रेफरेंस नं. 02/2021 खारिज की जाती है।

54. हालांकि, अपीलकर्ता – दीपक बघेल की ओर से दायर क्रिमिनल अपील नं. 1365/2021 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आईपीसी की धारा 363, 366, 302, 201 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है, परंतु मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है, जबकि अर्थदंड यथावत

रहेगा। इसके अतिरिक्त, हम यह भी निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास की अवधि अपीलकर्ता दीपक बघेल के प्राकृतिक जीवनकाल की शेष अवधि तक जारी रहे।

अनुपालन

55. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की विधिवत सत्यापित प्रति संबंधित सत्र न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 371 के तहत आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजें। उन्हें इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भी भेजने का निर्देश दिया जाता है, जहां अपीलकर्ता अपनी जेल अवधि काट रहा है, ताकि अपीलकर्ता को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

सही/–

(श्री रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Head Note

वर्तमान मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामले की रेणी में नहीं आता हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कानून के स्थापित सिद्धांत के मद्देनजर मौत की सजा दी जा सकती है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**